प्रश्नोतर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट ' अड़तीस '

[6/12/2016]

प्रश्न सं. [क्र. 1777]

कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी एकीकृत बाल विकास सेवा भिण्ड म0प्र0

क्रमांक/एवाविसे0/निमार्ण2016/ 3698

भिण्ड दिनांक 10/10/16

प्रति,

कलेक्टर

जिला भिण्ड म0प्र0

विषय-: तेजपुरा के ऑगनवाडी भवन निर्माण के संबध में किये गये भ्रमण का प्रतिवेदन ।

सन्दर्भ-:आपके कार्यालय का पत्र क्रमांक /प.रा./वि.स.-423/2016/9792भोपाल दिनांक 19/08/2016 ।

उपरोक्त विष्यान्तर्गत् प्राप्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में वस्तु स्थित इस प्रकार है। एकीकृत बालविकास परियोजना गोरमी में ग्राम पंचायत तेजपुरा के ग्राम तेजपुरा में एक ऑगनवाडी केन्द्र स्वीकृत किया गया था। ग्राम में विद्यालय के पास शासकीय भूमि न होने के कारण तात्कालीन सरपंच के द्वारा ऑगनवाडी भवन निर्माण हेतू श्री राजेन्द्र सिंह कि भूमि का दानपत्र मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपंद पंचायत मेहगॉव के मध्य किया गया और निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया ,परन्तु पंचायती चुनाव होने से कार्य पूर्ण नही किया गया। वर्तमान सरपंच श्रीमती द्रोपती के द्वारा उक्त निर्माण पर आपत्ति दर्ज करायी गयी कि ग्राम में शासकीय भूमि है। फिर भी पूर्व सरपंच के द्वारा अनाधिकृत रूप से आबादी से बाहर ऑगनवाडी भवन निर्माण के लिये भूमि दान ली गई है। उक्त् आपत्ति पत्र के प्राप्त होते ही विभाग के द्वारा निर्माण पर रौक लगा दी गई,निमार्ण पर रौक लगते ही ऑगनवाडी भवन की भूमि दान दाता श्री राजेन्द्र सिंह द्वारा नेशनलग्रीन ट्रिब्यूनल सेन्ट्रल जौनल ब्रॉच भोपाल में अपील की गई की वर्तमान सरपंच तेजपुरा द्वारा ऑगनवाडी भवन निमार्ण हेतु जिस शासकीय भूमि खसरा नम्बर 284 (घूरा) खसरा नम्बर 283 (पोखर) का उललेख किया जा रहा है। वह भूमि तालाब की हैं। यदि वहॉ निर्माण कार्य कराया जाता है, तो वहा पर्यावरण के लिए हानिकारक होगा। उक्त अपील में दर्शाये गये विन्दूओं की जॉच करायी गयी तो पाया कि सरपंय द्वारा ऑगनवाडी भवन के लिये जो शासकीय भूमि के खसरे नम्बर दर्शाये गये है। वह तालाब व घूरे की है। अत: वहॉ ऑगनवाडी के भवन का निमार्ण कराया जाना पर्यावरण के हित में नही है। तत्पश्चात कार्यालय के पत्र क्रमांक-914-15 दिनांक 03.03.2016 के द्वारा सरपंच तेजपुरा को निर्देशित किया गया कि वह पूर्व सरपंच के द्वारा ऑगनवाडी भवन निमार्ण् हेतु दान में ली गई भूमि पर ही ऑगनवाडी भवन निर्माण कराना सूनिश्चित करें। परन्तु सरपंच तेजपुरा के द्वारा उक्त पत्र के विरूद माननीय न्यायालय खण्ड पीठ ग्वालियर में डब्लू पी नम्बर / रिटपिटीशन दायर की गई है।

उक्त प्रकरण में ध्यानाकर्षण सूचना प्राप्त होने पर श्रीमान कलेक्टर भिण्ड के माध्यम से मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपंद पंचायत मेहगॉव को पत्र जारी किया गया कि वहॉ तत्काल ऑगनवाडी भवन निर्माण कार्य पूर्ण करायें एवं प्लंत लेबल तक निर्मित भवन की मजदूरी एवं मटेरियल का भुगतान सरपंच तेजपुरा से तत्काल करावें। मुख्य कार्यपालन अधिकारी मेहगॉव के द्वारा अवगत कराया गया कि तेजपुरा सरपंच श्रीमती द्रोपतीबाई को समक्ष में बुलाकर ऑगनवाडी भवन निमार्ण कार्य पूर्ण कराने एवं मजदूरी भुगतान की सलाह दी गई । द्रोपतीबाई एव सरपच तेजपुरा के विरूद्ध धारा 40 की कार्यवाही संपादित हेतु अनुविभागीय अधिकारी मेहगॉव को पत्र लिखा गया अनुविभागीय अधिकारी मेहगांव के द्वारा श्रीमती द्रोपतीबाई सरपंच तेजपुरा को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया सरपंच के द्वारा नोटिस का जवाब दिनांक 02-09-2016 को प्रस्तुत किया गया। सरपंच द्वारा प्रस्तुत जवाब के आधार पर कलेक्टर महोदय के द्वारा

उक्त प्रकरण की जॉच हेतू अनुविभागीय अधिकारी मेहगॉव की अध्यक्षता में जॉच समिति गठित की गई। जॉच समिति के द्वारा निर्धारित समय सीमा में जांच न करने के बाद कलेक्टर महोदय द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत भिण्ड व जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला बाल विकास सेवा व परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास परियोजना अधिकारी को उक्त प्रकरण में ग्राम में जाकर जांच कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये । दिनांक 20/09/2016 को ग्राम तेजपुरा में ऑगनवाडी स्थल का निरीक्षण किया जिसमें निम्नानुसार स्थित पायी गई -

1.तेजपुरा ग्राम में ऑगनवाडी भवन निर्माण हेतु शासकीय भूमि उपलब्ध नही है।

2. ग्रामीण जन दान में ऑगनवाडी भवन निमार्ण हेतु स्थल देने के लिए तैयार है।

3.पूर्व सरपंच के द्वारा ऑगनवाडी भवन निमार्ण हेतु मंगल भवन खसरा नम्बर 232 दान में ली गई है।जिसका दानपत्र मुख्य कार्यपालन अधिकारी मेहगॉव एवं दानदाता श्री राजेन्द्र सिं के मध्य नियमानुसार किया गया ।

4.तत्कालीन सरपच द्वारा दान की गई भूमि पर पिलिंथ लेबल तक निर्माण कार्य करा दिया गया है।

5.पंचायत चुनाव आनो के कारण कार्य पूर्ण नही हो पाया।

6.बर्तमान सरपंच श्रीमती द्रोपतीबाई के द्वारा दिनांक 29/12/2015 को एक आवेदन दिया गया कि भवन निर्माण आबादी से दूर कराया जा रहा है। जहॉ बच्चो क पहुँचना सम्भव नही है।इनके द्वारा स्थान दान में देने हेतु बताया गया है। तथा 20,25 ग्रामीणो के हस्ताक्षर युक्त पंचनामा पेश किया गया।

7.समिति के द्वारा उभय पक्षो के द्वारा ऑगनवाडी भवन निमार्ण हेतु दान दिये जाने वाली दोनों जगह का निरीक्षण किया गया । तथा ग्रामीणो से चर्चा की गई ।

8. दोनो स्थानों में से किसी भी स्थान पर समस्त ग्रामीणो की सहमति नही बनपायी।

9.दोनो पक्षो में अत्यन्त ध्रुवीकरण के कारण कानून व्यवस्था की स्थिति बनने की संभावना है।

10.उक्त तीनो स्थानो में से किसी भी स्थान पर यदि ऑगनवाडी निर्माण प्रारम्भ कराया जाता है तो गॉव में विवाद की स्थिति यथावत रहेगी। तथा निर्माण कार्य प्रभावित रहेगा।

अत: समित के द्वारा अनुसंशा की जाती है। कि समस्त ग्रामीणो की एक जगह पर सहमति न होने के कारण बर्तमान में ऑगनवाडी भवन निर्माण सम्भव नही है। अत: तेजपुरा में स्वीकृत भवन निर्माण निरस्त किया जावे सरपंच के द्वारा राशि जिला पंचायत को बापस की जावे जहॉ तक अब तक किये गये कार्य कि मजदूरी का भुगतान तथा सामग्री का भुगतान का प्रश्न है, ~~कार्यपालन~~ सहायक यंत्री ग्रामीण यात्रिकिय मेहगॉव व मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत मेहगॉव संयुक्त परीक्षण कर निर्धारित करें कि कितनी राशि सामग्री के भुगतान व कितने राशि मजदूरी के लिये आवश्यक तथा 7 दिवस में प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।

जिला कार्यक्रम अधिकारी एकीकृत बाल विकास सेवा जिला भिण्ड म0प्र0	अनुभाग अधिकारी मेहगांव	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत भिण्ड म0प्र0